**राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र, उ०प्र०**

**(सम्बद्ध:-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी / मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर)**

**(पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा निर्मित छात्रावास में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु प्रवेश आवेदन-पत्र)**

**नोट :- आवेदन पत्र अपूर्ण न छोड़े । अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाएगा ।**

**कक्षा ............................. भाग................ सत्र..................**

नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो

1. **छात्र का नाम :--............................................**
2. **पिता का नाम :--...............................................**
3. **माता का नाम :---...............................................**
4. **जन्म तिथि :---.................................................**
5. **जाति वर्ग :-......................... उपजाति..................**
6. **स्थायी पता ( वर्तमान निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करें ):----**

**ग्राम........................................पोस्ट.......................................थाना...... ............ ...........**

**तहसील..................... .जिला...................... .राज्य....................... .पिनकोड..................**

**7 – स्थानीय अभिभावक का नाम :---........................................................... सम्बन्ध........**

**8-स्थानीय पता :---..............................................................................**

**9- विगत वर्ष के विद्यालय/कॉलेज का नाम.................**

**10- विगत वर्ष का परीक्षाफल :- पूर्णांक........... . प्राप्तांक ............ .प्रतिशत.......**

**11- पिता/माता/अभिभावक का व्यवसाय..................... ..वार्षिक आय..........**

**12- उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि..............**

**13-स्थायी निवास से महाविद्यालय की दूरी ( किमी०में )................**

**14- छात्र का मोबाइल नम्बर....................................पिता का मोबाइल नम्बर.....................**

**15- छात्र का आधार नम्बर :--................................. पिता का आधार नम्बर .................**

**तिथि ......... छात्र का पूरा हस्ताक्षर**

**छात्र द्वारा प्रतिज्ञा पत्र**

**मैं..................................................पुत्र............................................कक्षा.............**

**छात्रावास के संपूर्ण नियम पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूं कि आवेदन पत्र में दी गई संपूर्ण सूचना सत्य एवं सही है । कोई भी विवरण असत्य पाए जाने पर मुझे छात्रावास से निष्कासित व अन्य नियमानुसार देयदंड स्वीकार होगा ।**

**दिनांक......................... छात्र का पूरा हस्ताक्षर**

**विभागाध्यक्ष की संस्तुति**

**श्री ..................................................पुत्र श्री........................................... कक्षा................... खण्ड....................का............................ विभाग में प्रवेश हो चुका है । मेरी संस्तुति है कि इनको छात्रावास में प्रवेश दिया जा सकता है । प्रवेश शुल्क रसीद संख्या................ .तिथि..............**

**दिनांक.................... विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर व मुहर**

**कुलानुशासक की संस्तुति**

**श्री...........................................पुत्र....................................... कक्षा............**

**खण्ड.............. का आचरण संतोषजनक है । मेरी संस्तुति है कि इनको छात्रावास में प्रवेश दिया जा सकता है ।**

**दिनांक :--- कुलानुशासक के हस्ताक्षर व मुहर**

**(प्रो०प्रमोद कुमार) (डॉ० सचिन कुमार ) (डॉ० आलोक यादव )**

**प्राचार्य सहायक प्रशासनिक गृहपति मुख्य प्रशासनिक गृहपति**

**हास्टल आवंटन की सूची प्रकाशित होने के बाद ₹10/= के स्टांप पर नोटरी द्वारा प्रमाणित पिता/माता/अभिभावक का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर जमा करना होगा------**

**पिता/माता/अभिभावक का शपथ-पत्र**

**★ मेरा पुत्र ................................................................राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र में कक्षा ..................................में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हैं ।**

**★★ मैं अपने पुत्र ............................................कक्षा............................ के लिए महाविद्यालय के हास्टल में रहकर अध्ययन करने की सुविधा दिलाना चाहता हूँ ।**

**★★★ महाविद्यालय के छात्रावास सम्बन्धी सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य है तथा मेरे पुत्र /पाल्य द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता पाये जाने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा मुझे मान्य होगा**

**दिनांक ............. पिता /माता/अभिभावक के हस्ताक्षर**

**(कार्यालय द्वारा भरा जाय)**

1. **छात्रावास शुल्क जमा करने की रसीद संख्या :--.................................. तिथि....................**
2. **छात्र का नाम .............. कक्षा ................**
3. **छात्रावास का नाम :--...................................................... ..आवंटित कक्ष संख्या..............**

**कार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर सहायक गृहपति के हस्ताक्षर मुख्य गृहपति के हस्ताक्षर**

**हास्टल आवेदन फॉर्म के साथ निम्न प्रणाम-पत्र संलग्न करे.........**

1. **वर्तमान सत्र के प्रवेश की फीस रसीद ।**
2. **वर्तमान सत्र का ग्रीन कार्ड ।**
3. **पिछले सत्र का अंक पत्र ।**
4. **वर्तमान सत्र का निवास प्रमाण-पत्र ।**
5. **वर्तमान सत्र का आय प्रमाण पत्र ।**
6. **जाति प्रमाण-पत्र**
7. **आधार कार्ड ।**

**राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र**

**[ अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास-नियमावली ]**

**महाविद्यालय में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा निर्मित कराए गए छात्रावास के सत्र 2025-26में समुचित प्रबंधन एवं संचालन हेतु प्राचार्य की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित नियम बनाए गये व निर्णय लिए गए........**

**1- छात्रावास में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र के अन्य पिछड़ा वर्ग के संस्थागत छात्र ही छात्रावास आवंटन के पात्र होंगे । स्नातक कक्षा के छात्र अधिकतम 3 वर्ष एवं स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र अधिकतम 2 वर्ष छात्रावास में रह सकेंगे । हास्टल भूतपूर्व विद्यार्थी को आवंटन नहीं किया जाएगा । छात्रावास आवंटन का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया जाएगा ।**

**2 - छात्रावास में प्रवेश के लिए निर्धारित छात्रावास प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण रूप से स्पष्ट भरकर निश्चित तिथि तक जमा करना होगा ।**

**3- छात्रावास का शुल्क ₹2400/=【रुपए दो हजार चार सौ मात्र 】प्रति छात्र प्रति वर्ष होगा । छात्रावास शुल्क की धनराशि छात्रावास के रख-रखाव पर व्यय की जाएगी। जमा किया हुआ शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा । उपरोक्त शुल्क की दर शासन / छात्रावास प्रबंध समिति द्वारा इस संबंध में किए गए परिवर्तन के अधीन होगी ।**

**4- वार्डेन या प्राचार्य द्वारा छात्रावास के संचालन रख-रखाव अनुशासन आदि से संबंधित समय-समय पर निर्गत आदेशों , निर्देशों निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करना , छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों के लिए बाध्यकारी होगा ।**

**5- छात्रावास में निवास करने वाले छात्र द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता व नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित छात्र के विरुद्ध प्राचार्य द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी ।**

**6-छात्रावास में बिजली का हीटर अथवा किसी प्रतिबंधित पदार्थ उपकरण आदि का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है , ऐसा करने पर संबंधित छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी**

**7-छात्रावास में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतया वर्जित होगा अभिभावक से मिलने की सूचना भी वार्डन को देनी होगी ।**

**8- छात्रावास में साथियों के साथ बैठक करना , हल्ला करना , छात्रावास की संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना , अनुशासनहीनता है । जो दंडनीय है ।**

**9 - मुख्यालय से बाहर जाने पर छात्रावास के वार्डन को सूचित करना अनिवार्य होगा ।**

**10- छात्रावास में छात्रों की सहमति पर नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर मेस की व्यवस्था की जा सकती है ।**

**11- आग्नेयास्त्र या अन्य हथियार या प्रतिबंधित हथियार या लाइसेंसी हथियार रखना वर्जित होगा ।**

**12- छात्र के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा होने की स्थिति में आवंटन रद्द कर दिया जाएगा या आवंटन नहीं होगा ।**

**13- छात्रावास के छात्र को अपनी कक्षा की लिखित परीक्षा समाप्त होने पर छात्रावास खाली करना होगा । वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत छात्रावास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी ।**

**14- वार्डेन को लिखित अनुमति के बिना कोई भी छात्र छात्रावास छोड़कर निर्धारित समय के बाद छात्रावास से बाहर नहीं जाएगा । छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति वार्डेन द्वारा दी जाएगी ।**

**15- एन.सी.सी., एन.एस. एस. या विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु छात्रावास से बाहर रहने की सूचना छात्रावास के वार्डेन को लिखित रूप में देनी होगी ।**

**16- बिना लिखित पूर्व अनुमति के हॉस्टल छोड़कर अन्यत्र निवासी छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी ।**

**17- छात्रावास में मोटरसाइकिल इत्यादि रखने की अनुमति लेनी होगी ।**

**18-महाविद्यालय द्वारा छात्रावास में प्रतिबंधित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य सामान्य दैनिक वस्तुओं को छात्र की जिम्मेदारी पर रख सकते हैं ।**

**19-छात्रावासी छात्रों के लिए छात्रावास में मद्यपान, धुम्रपान या ड्रग्स लेना पूर्णतया वर्जित होगा । इन वस्तुओं को रखने मात्र पर भी छात्र के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ।**

**20- छात्रावास के बाहर या भीतर रैगिंग करना पूर्णतया वर्जित ।**

**21- छात्रावास की संपत्ति, फर्नीचर इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी तथा संबंधित छात्र को क्षतिपूर्ति करनी होगी ।**

**22- छात्रावासी छात्र द्वारा हिंसात्मक कार्रवाई में लिप्त होना , अनैतिक कार्य करना दंडनीय है ।**

**23--प्राचार्य द्वारा दोषी छात्र को हास्टल से निष्कासित किया जा सकता है ।**

**24- आवंटित छात्र को हास्टल के किसी भी सामान का दुरुपयोग करना दंडनीय होगा । छात्र के अनुशासन में रहने ,बिजली,फर्नीचर आदि का दुरुपयोग न करने का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा ।**

**25 - प्राचार्य को किसी भी प्रकार की दशा में छात्रावास पूर्ण रूप से खाली कराने का अधिकार होगा ।**

**26- छात्रावास में समस्या उत्पन्न होने पर छात्र उसकी सूचना तत्काल मुख्य प्रशासनिक वार्डेन को देंगे।**

**27-पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप छात्रावास में एक चौकीदार एवं सफाई कर्मी की नियुक्ति दैनिक मजदूर के रूप में की जाएगी ।**

**\*\*\*\*\*\*\***

**कुछ महत्वपूर्ण अंश**

**हास्टल के आवासित छात्रों हेतु आवश्यक निर्देश :---**

**1—हास्टल अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब और 50 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले छात्रों को ही आवंटित होगा ।**

**2- हास्टल में मिल-जुल कर रहें ।**

**3—हास्टल में शान्ति बनाये रखें ।**

**4—हास्टल को स्वयं साफ-सुथरा रखें ।**

**5—हास्टल में विद्युत हीटर का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है ।**

**6—हास्टल में धूम्रपान करना पूर्णतया वर्जित है ।**

**7—हास्टल में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया निषिद्ध है ।**

**8—हास्टल का मुख्य गेट रात्रि 10 बजे बन्द होगा और सुबह 6 बजे खुलेगा ।**

**9—हास्टल में सुबह उठकर योग/ध्यान /व्यायाम अवश्य करें ।**

**10—हास्टल में किसी भी प्रकार की असुविधा/समस्या होने पर तत्काल वार्डेन को सूचित करें।**

**उक्त नियम का पालन न करने पर हॉस्टल से निष्कासित किया जा सकता है ।**